अभिभाषक–पत्र

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 151 सन 2019

अनवान :–

1. सत्यवीर पुत्र भवंरलाल जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
2. रणजीत पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर
3. सुमित्रा पत्नी सत्यवीर जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर
4. कृष्णा पत्नी रणजीत जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर
5. मीरा पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 20.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 106/105 के खसरा न0 121/3 की कुल 13.2160हैक खसरा न0 360 की 3.0100हैक कुल 16.2260हैक भूमि पूर्व में वादी के दादा मनफुल राम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद वाद भूमि उनके पुत्रों पर औद हुई जिन्होने खाता विभाजन करवाने पर वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आई है विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हक हिस्सा के अनुसार बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से अपने हक हिस्सा की भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है

अभिभाषक–पत्र

[illegible]

इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा एवं बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 106/105 की कुल 16.2260हैक भूमि एवं खसरा न0 360 की 3.0100हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 3 ,4 बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं खसरा न0 121/3 की 13.2160हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या के पास 1.012हैक एवं वादी अकेला 3.795हैक प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 3.795है व प्रतिवादी संख्या 4. 614हैक भूमि का खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते